(37)

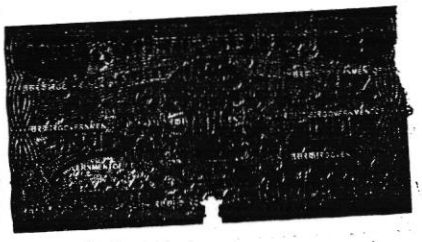

[redacted]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–टीकमगढ़

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/0007

कैलाश राय पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद राय
निवासी – 154 छनियापुरा तहसील झांसी (उ.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1 पंचम तनय कुंजीलाल राय
2 राजकुमार पुत्र श्री आत्मा राम राय
निवासीगण – जिजौरा जिला – टीकमगढ. म.प्र.
3 नरेन्द्र पुत्र श्री प्रभूदयाल यादव
निवाासी – बसौबा जिला – टीकमगढ म.प्र.
4 पहाड सिंह पुत्र श्री ननू परिहार
निवासी – प्रताप पुरा जिला – टीकमगढ म.प्र.
5 सुधीर सिंह उर्फ टिंकू राठौर पुत्र संतोष सिंह
निवासी – ओरछा जिला – टीकमगढ म.प्र.

...... अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 30.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 07.2.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 30.12.17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

30/12/17

न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक 4/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदक कैलाश राय द्वारा एक शिकायत तहसील ओरछा मे इस आशय से प्रस्तुत की गयी थी कि ग्राम बवेडी जंगल में स्थित भूमि खसरा नं. 37/4/2, 37/5/1, 37/5/2, 39/3, 38, 33, 34, 37, 39/1, 37/6 जोकि उसके व भाईयो के नाम पर भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। जिसपर अनावेदकगण द्वारा अवैध रूप से उत्खन्न किया जा रहा है। शिकायत की जांच खनिज अधिकारी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/0007

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. दिवेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि यह प्रकरण अवैध उत्खनन का है। प्रकरण का निराकरण अभी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य प्रतीत न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	